प्रेस विज्ञप्ति **08 जुलाई, 2019**

आज दिनांक 08 जुलाई, 2019 मर्चेंट चैम्बर ऑफ़ उत्तर प्रदेश, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान की मध्य भारत क्षेत्रीय परिषद, कानपुर इनकम टैक्स बार एसोसिएशन एवं कानपुर चार्टर्ड एकाउंटेंट्स सोसाइटी के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित बजट की परिचर्चा संयुक्त तत्वाधान में आयोजित की गयी|

कार्यक्रम का उद्घाटन सरस्वती प्रतिमा का माल्यार्पण एवं दीप प्रज्ज्वलन करके किया गया | इस कार्यक्रम की अध्यक्षता सी.ए. सुधीन्द्र जैन एवं सञ्चालन कानपुर इनकम टैक्स बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सी.ए. दीप कुमार मिश्र ने किया | आये हुए अतिथियों का स्वागत मर्चेंट चैम्बर के अध्यक्ष श्री बेनी माधव गर्ग ने एवं धन्यवाद सी.ए. अतुल मेहरोत्रा ने दिया |

श्री मुकुल टंडन ने मुख्य वक्ता का परिचय प्रस्तुत किया| कार्यक्रम को सी.आई.आर.सी.चेयरमैन सी.ए.मुकेश बंसल, सोसाइटी के अध्यक्ष सी.ए. ज्ञान प्रकाश गुप्ता ने भी संबोधित किया |

"400 करोड़ रूपए तक के टर्नओवर पर 25 % कॉर्पोरेट टैक्स लगने से लगभग 99**.7** % से ज्यादा कॉर्पोरेट करदाता शामिल हो जायेंगे लेकिन शेष बची हुई कम्पनियाँ पूरे कॉर्पोरेट टैक्स का लगभग **70** % टैक्स जमा करती हैं, इसलिए इस प्रावधान से अधिकांशतः सभी कॉर्पोरेट करदाता लाभान्वित होंगे | गैर-सरकारी संगठनों की गतिविधियों में बहुत ही अमूल चूल परिवर्तन किए गए है| आयकर अधिनियम की धारा 12ए के अंतर्गत न्यास के पंजीयन से सम्बंधित प्रावधान हैं जिनमें यह संशोधन किया गया है कि यदि अपनी दैनिंदिन गतिविधियों के दौरान किसी अन्य कानून का उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है तो उस न्यास का पंजीयन निरस्त किया जा सकता है, जिसके परिणामस्वरूप उस न्यास की परिसंपत्तियों के उचित बजरी मूल्य एवं मूल लागत के अंतर पर अधिकतम मार्जिनल दर से कर का भुगतान करना पड़ेगा जोकि इस समय लगभग 42.7% है | इसके अतिरिक्त गैर-सरकारी संगठनों का एक राष्ट्रीय एक्सचेंज स्थापित किया जाएगा, जिसके माध्यम से ये संगठन बाज़ार से पैसा उगाह सकेंगे | 2 करोड़ से 5 करोड़ तक की आय पर 2 % का अतिरिक्त सरचार्ज लगेगा, जो 5 करोड़ से ऊपर पर 7% होगा | लेकिन इस तरह के करदाता पूरे देश में केवल 25-30 हजार ही होंगे, अतः इस बढोत्तरी का अधिकांश करदाताओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा | ई-वाहन के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए इसकी खरीद पर दोहरा फायदा दिया गया है, जहाँ इस पर वस्तु एवं सेवा कर 12 % से घटा कर 5 % कर दिया गया है, वहीं इसके खरीद के लिए, प्राप्त ऋण पर 1.50 लाख तक की छूट मिलेगी | मध्यम वर्ग को एक बड़ी राहत प्रदान करते हुए इसके लिए प्राप्त ऋण पर 1.50 लाख तक की अतिरिक्त छूट मिलेगी | उपरोक्त जानकारी आज मर्चेंट चैम्बर ऑफ़ उत्तर प्रदेश, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान की मध्य भारत क्षेत्रीय परिषद, कानपुर इनकम टैक्स बार एसोसिएशन एवं कानपुर चार्टर्ड एकाउंटेंट्स सोसाइटी के

संयुक्त तत्वावधान में आयोजित बजट की परिचर्चा में दिल्ली से पधारे विद्वान वक्ता, श्री राम कॉलेज ऑफ़ कॉमर्स के एसोसिएट प्रोफेसर एवं भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान की केन्द्रीय परिषद के सदस्य डॉ. रवि गुप्ता ने व्यक्त किए |"

श्री अखिलेश तिवारी, राजीव कुमार गुप्ता, अजय सिंह, शरद शेखर श्रीवास्तव, अरुण अहलुवालिया, शशि बाजपेई ने पुष्प एवं पुस्तक भेंट करके अतिथियों का स्वागत किया | श्री विमल कुमार बाजपेई एवं अमित पाण्डेय ने अतिथियों को स्मृति चिन्ह प्रदान किए |

कार्यक्रम में प्रमुख रूप से श्री मुकुल टंडन, श्री अनिल अग्रवाल, श्री संतोष गुप्ता, श्री गोपाल मिश्रा, श्री अतुल मेहरोत्रा, श्री आशीष अग्रवाल, बसंत लाल गुप्ता, प्रशांत रस्तोगी, मदन लाल जैन, विनय जैन, हरजीत सिंह लाम्बा, अरविन्द नाथ सिंह, पंकज तिवारी, जगदीश चन्द्र, प्रणव शुक्ल, विनोद सिंह सचान, देवेन्द्र पाण्डेय, अवधेश मिश्र, गोविन्द कृष्णा, अतुल अग्रवाल आदि उपस्थित थे |